

सं. 8/12/2006-बीपी एंड एल

भारत सरकार

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 10.09.2007

आदेश

डीटीएच सेवा के लिए दिशानिर्देशों के तहत "लाइसेंस करार की अनुसूची" के संशोधित करने वाले भारत सरकार के दिनांक 29 मई, 2007 के आदेश के आंशिक संशोधन में अब भारत सरकार ने इसके द्वारा यह निर्णय लिया है कि

- (i) दिनांक 29 मई, 2007 के आदेश के जरिए डीटीएच सेवाओं के लिए "लाइसेंस करार की अनुसूची" में जोड़े गए खंड 7.9 को हटाना/रद्द करना माना जाए।
- (ii) "लाइसेंस करार की अनुसूची" के मौजूदा खण्ड 7.8 को एतद्द्वारा हटाया जाता है और इस खण्ड द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है अर्थात् :-

"7.8 लाइसेंस के तहत उसकी डीटीएच सेवा में उन टीवी चैनलों को लाया जाएगा अथवा शामिल किया जाएगा जिन्हें यथा-संशोधित केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 8 के प्रावधानों के अनुसार क्षेत्रीय टीवी चैनलों को छोड़कर अधिदेशात्मक और अनिवार्य रूप से लाए जाने के लिए अधिसूचित किया गया है, ऐसा न करने पर लाइसेंस प्रदान करने वाले को इस करार के खण्ड 20.1 के अनुसार कार्रवाई करने की स्वतंत्रता होगी।

इसके अतिरिक्त बशर्ते लाइसेंसधारी इस खण्ड के तहत शालि न किए गए प्रसार भारती के अन्य चैनलों को प्रस्तावित सर्वाधिक उपयुक्त वित्तीय शर्तों के आधार पर किसी अन्य चैनल को प्रदान करेगा।

(जोहरा चटर्जी)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

प्रति निम्नलिखित को :-

1. मंत्रिमंडल सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय।
2. सचिव, दूरसंचार विभाग।
3. सचिव, गृह मंत्रालय।
4. सचिव, वित्त मंत्रालय।
5. सचिव, राजस्व विभाग।
6. सचिव, अंतरिक्ष विभाग।
7. सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग।
8. सीईओ, प्रसार भारती।
9. सचिव, टीआरएआई।
10. मैसर्स एएससी एंटरप्राइजेज लि० (डिश टीवी इंडिया लि०), एफसी-19, सेक्टर 16-ए, नोएडा-201301.
11. मैसर्स टाटा स्काई प्राइवेट लि०, बाम्बे डाइंग ए.ओ. बिल्डिंग, पाण्डुरंग बुधकर मार्ग, वर्ली, मुम्बई-400025.
12. मैसर्स सन डायरेक्ट टीवी प्राइवेट लि०, 367/369, अन्ना सलाई, त्यानमपेट, चेन्नई.
13. मैसर्स रिलायंस ब्लू मैजिक प्राइवेट लि०, तृतीय तल, रिलायंस एनर्जी सेंटर, सांता क्रूज (ई), मुम्बई-400055.